विधिक प्रतिनिधि वाद अधिनियम, 1855

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका ।

1. मृत व्यक्ति के जीवनकाल में किए गए दोषों के लिए कुछ दशाओं में निष्पादकों का वाद ला सकना और उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकना ।

2. दोनों पक्षों में से किसी की मृत्यु से वाद का उपशमन न होना । परन्तुक ।

www.LinkingLaws.com

[1][विधिक प्रतिनिधि वाद अधिनियम, 1855]

(1855 का अधिनियम संख्यांक 12)

[27 मार्च, 1855]

कुछ दोषों के लिए निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधियों को वाद लाने और उनके विरुद्ध वाद लाए जाने के लिए समर्थ बनाने के लिए अधिनियम[2]

उद्देशिका—यत: कुछ दशाओं में कुछ दोषों की बाबत निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधियों को वाद लाने के लिए और उनके विरुद्ध वाद लाए जाने के लिए, जो अधिकार वर्तमान विधि के अनुसार ऐसे निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद लाने के लिए, बचे नहीं रहते हैं, समर्थ बनाना समीचीन है;

अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. मृत व्यक्ति के जीवनकाल में किए गए दोषों के लिए कुछ दशाओं में निष्पादकों का वाद ला सकना और उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकना—किसी मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे व्यक्ति के जीवनकाल में किए गए किसी दोष के लिए, जिसके कारण उसकी सम्पदा को धन संबंधी हानि हुई है, और जिस दोष के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा कार्यवाही की जा सकती थी, यदि ऐसा दोष उसकी मृत्यु के पहले एक वर्ष के अन्दर किया गया हो [3]*** तो, वाद ला सकेंगे, और नुकसानी, वसूल की जाने पर, ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिगत सम्पदा का भाग होगी;

और आगे यह कि, किसी मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या वारिस या प्रतिनिधियों के विरुद्ध उसके द्वारा उसके जीवनकाल में किए गए किसी दोष के लिए जिसके लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी, यदि ऐसा दोष ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के एक वर्ष के अन्दर किया गया हो [4]*** तो, कार्यवाही की जा सकेगी; और ऐसी कार्यवाही में वसूल की जाने वाली नुकसानी, यदि

---

[1] संक्षिप्त नाम भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 (1897 का 14) द्वारा दिया गया ।

यह अधिनियम विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 (1874 का 15) की धारा 3 द्वारा भाग ख राज्यों और अनुसूचित जिलों के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर प्रवृत्त घोषित किया गया ।

1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली को और 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र को यह अधिनियम विस्तारित और प्रवृत्त किया गया ।

यह अधिनियम सिक्किम राज्य में तारीख 1-9-1984 को प्रवृत्त हुआ । देखिए अधिसूचना सं०का०आ० 653(अ), तारीख 24-8-1984 ।

खोण्डमाल विधि विनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोण्डमाल जिले में; आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में; और संस्थाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा संथाल परगना में भी इस अधिनियम को प्रवृत्त घोषित किया गया ।

अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा यह निम्नलिखित अनुसूचित जिलों में भी प्रवृत्त घोषित किया गया है, अर्थात् :—

पश्चिम जलपाई गुड़ी	देखिए भारत का राजपत्र, 1881 भाग 1, पृष्ठ 74 ।
हजारीबाग, लौहारडगा (अब जिला रांची, कलकत्ता राजपत्र, 1899, भाग 1, पृष्ठ 44 देखिए तथा मानभूम जिले और सिंहभूम जिले में परगना डालभूम तथा कोल्हन)	देखिए भारत का राजपत्र, 1881 भाग 1, पृष्ठ 504 ।
मिर्जापुर जिले का अनुसूचित भाग	देखिए भारत का राजपत्र, 1879 भाग 1, पृष्ठ 383 ।
जौनसार बाबर	देखिए भारत का राजपत्र, 1879 भाग 1, पृष्ठ 382 ।
लाहौल जिला	देखिए भारत का राजपत्र, 1886 भाग 1, पृष्ठ 301 ।
मध्य प्रदेश के अनुसूचित जिले	देखिए भारत का राजपत्र, 1897 भाग 1, पृष्ठ 771 ।
गंजम और विशाखापत्तनम के अनुसूचित जिले	देखिए भारत का राजपत्र, 1898 भाग 1, पृष्ठ 870 ।
असम (नार्थ लुशाई पहाड़ियों के सिवाय)	देखिए भारत का राजपत्र, 1897 भाग 1, पृष्ठ 299 ।
सिंहभूम जिले का पोरहाट इस्टेट	देखिए भारत का राजपत्र, 1897 भाग 1, पृष्ठ 1059 ।

इसका पश्चात्वर्ती उल्लिखित अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित जिलों पर विस्तार किया गया है, अर्थात् :—

कुमाऊं और गढ़वाल	देखिए भारत का राजपत्र, 1876 भाग 1, पृष्ठ 606 ।
आगरा प्रान्त की तराई	देखिए भारत का राजपत्र, 1876 भाग 1, पृष्ठ 505 ।

इस अधिनियम का नए प्रान्तों और विलीन राज्यों में 1949 के अधिनियम सं० 59 द्वारा और त्रिपुरा, मणिपुर एंव विंध्य प्रदेश राज्यों में 1950 के अधिनियम सं० 30 द्वारा विस्तार किया गया है ।

[2] देखिए सिविल प्रोसिजर ऐक्ट, 1833 (3 और 4 विल० 4, अध्याय 42) की धारा 2 ।

[3] 1871 के अधिनियम सं० 9 की अनुसूची 1 द्वारा "परन्तुक यह तब जबकि ऐसी कार्रवाई ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष के भीतर की जाए" शब्द निरसित । परिसीमा के लिए अब देखिए परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) ।

[4] 1871 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा "और यदि ऐसी कार्रवाई ऐसे दोष करने के दो वर्षों के अन्दर की गई हो" शब्द निरसित । परिसीमा के लिए अब देखिए 1963 का अधिनियम 36 ।

www.LinkingLaws.com

आंग्ल विधि के अनुसार प्रशासन करने के लिए आबद्ध किसी निष्पादक या प्रशासक के विरुद्ध वसूल की जाती है तो ऐसे व्यक्ति के साधारण संविदा ऋणों के रूप में प्रशासन आदेश के समान संदेय होगी ।

2. दोनों पक्षों में से किसी की मृत्यु से वाद का उपशमन न होना । परन्तुक—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रारम्भ की गई कोई कार्यवाही दोनों पक्षों में से किसी की मृत्यु के कारण उपशमित नहीं होगी, किन्तु वह मृत पक्षकार के निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधियों के विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी : परन्तु यह कि, किसी दशा में जिसमें ऐसी कार्यवाही मृत पक्षकार के निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि के विरुद्ध चालू रखी जाएगी, ऐसे निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि कार्यवाही में या तो पूर्णत: या भागत: आस्तियों की कमी का प्रतिवाद उसी रीति में कर सकते हैं, जिसमें वे तब करते यदि कार्यवाही मूलत: उनके विरुद्ध प्रारम्भ की जाती ।

———

www.LinkingLaws.com